2023/87

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 25/2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

महाकान्त पुत्र श्याम सिंह, निवासी बस स्टेण्ड लखूवाली तहसील एवं जिला हनुमानगढ

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह वराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः –22.01.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.10.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ हमराह कार्यालय स्टाफ लखूवाली तिराह पर स्थित दुकान पर महाकान्त पुत्र श्याम सिंह, निवासी लखूवाली स्थित आवा/दुकान में पेट्रोल–डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर महाकान्त की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 100 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 24 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, दो प्लास्टिक कैनी 15 प्लास्टिक बोतल, 1 हस्तचालित पम्प, 3 नाप लोहे के, 3 कीप लोहे की रखें पाये गये। मौके पर आवास/दुकान मालिक महाकान्त उपस्थित मिला जिसके द्वारा उक्त आवास/दुकान पर डीजल व पेट्रोल बेचने का कार्य किया जाता है एवं मौके पर पाया गया सामान दुकान में पेट्रोल–डीजल विक्रय कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर महाकान्त द्वारा उनके पास पेट्रोल–डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। चुकि बिना सक्षम स्वीकृति पेट्रोल–डीजल का व्यापार करना मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर आवास/दुकान में पेट्रोल–डीजल का अवैध कारोबार स्पष्ट होने पर 100 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 24 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, दो प्लास्टिक कैनी 15 प्लास्टिक बोतल, 1 हस्तचालित पम्प, 3 नाप लोहे के, 3 कीप लोहे श्री पताराम पुत्र लक्ष्मण राम मै. लक्ष्मण निवासी नौरगंदेसर सुपुर्द किया गया। चुंकि श्री महाकान्त पुत्र श्याम सिंह निवासी बस स्टेण्ड लखूवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 100 लीटर डी[illegible] लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, दो प्लास्टिक कैनी 15 प्लास्टिक [illegible] हस्तचालित पम्प, 3 नाप लोहे के, 3 कीप लोहे को राजसा[illegible]

प्रकरण प्रस्तुत हो[illegible] अप्रार्थी को धारा 6वी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 [illegible] किया गया। जब्तशुदा ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की [illegible]वना को ध्यान में रखते जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरता[illegible] कर उक्त राशि राजकोष जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2023 को दिये जा चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:04:00 IST
Reason: SelfAttested

सही/–
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

पत्रावली दर्ज होने को लगभग 1 वर्ष 2 माह हो चुके है। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.01.2025 को नोटिस जारी हो चुके है, परन्तु दिनांक 16.01.2025 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 100 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 24 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, दो प्लास्टिक कैनी 15 प्लास्टिक बोतल, 1 हस्तचालित पम्प, 3 नाप लोहे के, 3 कीप लोहे के साथ जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय साथ में लोहे के नाप, कीप भी पाये गये। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 100 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 24 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, दो प्लास्टिक कैनी 15 प्लास्टिक बोतल, 1 हस्तचालित पम्प, 3 नाप लोहे के, 3 कीप लोहे को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umed Lal Meena
Date: 2025.02.24 19:04:00 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)
जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़